

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह/गुप-7/2021/

जयपुर दिनांक : 26.03.2021


संशोधित आदेश

विषय :- होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक बाबत।

विभागीय आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा जारी किये गये निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :-

दिनांक 28.03.2021 एवं दिनांक 29.03.2021 को अपराह्न 4 बजे से रात्रि 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

अन्य शर्तें यथावत् रहेंगीं।


  
(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।

12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

  
 (एन.एल.मीना)  
 शासन सचिव, गृह

राजस्थान-सरकार



**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही**

Email : dm-sir-rj@nic.in


judisectionsirohi@gmail.com

क्रमांक: प.16(12)( )कोरोना / न्याय / 20 / 2283

दिनांक 26 -03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2262 दिनांक 25.3.2021 के क्रम में सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, सिरोही।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूपर्वत।
4. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूरोड़।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
6. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ..... जिला सिरोही।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूरोड़
8. आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिण्डवाड़ा / शिवगंज / आबूरोड़ / जावाल।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / आपदा प्रबन्धन / विकास शाखा
12. निजी सहायक, जिला कलक्टर, सिरोही।

  
 अति.जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही